निर्णय ब–इजलास डा॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 635/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

हजारी लाल पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम रायपुरा, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर।
2. शान्ति पत्नी मोहनलाल, जाति ब्राह्मण
3. नारायणलाल पुत्र मोहनलाल, जाति ब्राह्मण
4. रामेश्वर पुत्र रूपा, जाति ब्राह्मण
5. प्रभू पुत्र औंकार, जाति कुम्हार
6. कैलाश पुत्र मंगलराम, जाति बागडा ब्राह्मण
7. भंवरलाल पुत्र औंकार, जाति कुम्हार
8. संज्या देवी पत्नी पूरण मल कुम्हार, जाति कुम्हार
9. राकेश पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण
10. विष्णु पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण

निवासी ग्राम रायपुरा, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 272/2023 ब–उनवानी हजारी बनाम शान्ति व अन्य को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने बाबत

उपस्थित

1. श्री बुद्वि प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से।

निर्णय दिनांक 26.02.2026

1. संक्षेप मे मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 272/2023 ब–उनवानी हजारी बनाम शान्ति व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे अन्तरण करने का निवेदन किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर से टिप्पणी तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से अभिभाषक श्री रामअवतार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते हुये सभी पक्षों की प्रोपर तामील करवाई गई तथा सभी पक्षकारों का नोटिस तामील करवाई जाकर अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 6 अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 का पेश कर दिया है। वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा कुर्रेजात रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 से 10 जो कि राजनैतिक पहुच वाले व्यक्ति है जो कि अपने राजनैतिक पहुच के कारण अधीनस्थ न्यायालय को अपने प्रभाव में लेकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. को स्वीकार करवाकर प्राथमिक डिक्री को निरस्त करवाने पर आमादा है। अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम के लोगो से कहा जा रहा है कि आगामी पेशी पर उक्त हम प्राथमिक डिक्री खारिज करवाकर अपने मनमाफिक डिक्री जारी करवाकर रहेगे। अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थी को धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से हमारी बातचीत हो चुकी है ओर शीघ्र ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में आवश्यक जल्दबाजी करते हुये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये छोटी छोटी तारीख पेशीया नियत कर रहे है जिससे भी प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा हो गया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इस कारण प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 9 के अधिवक्ता ने बहस में उक्त तर्को का खण्डण करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण मे विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थन पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर से प्राप्त टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के संबंध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो उचित नहीं है। मात्र कयास के आधार एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा छोटी छोटी तारीख पेशी दिये जाने पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी माधोराजपुरा, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner